



परिपत्र (प्रशासन)

**विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला-सह-जागरूकता कार्यक्रम (Workshop-cum-awareness programme on prevention of sexual harassment of women at workplace).**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानदंडों के संदर्भ में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.02.1998 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of sexual harassment of women at workplace) के संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने में संवेदनशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस संबंध में मुख्यालय कार्यालय परिपत्र संख्या 25-स्टाफ (डिस्क.-I)/2024 दिनांक 29.07.2024 के अनुदेशों के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर एक कार्यशाला-सह-जागरूकता कार्यक्रम (WORKSHOP-CUM-AWARENESS PROGRAMME) दिनांक 08.11.2024 को 3.00 बजे अपराह्न इस कार्यालय में आयोजित किया जाना निर्धारित है।

सुश्री गीतिका सूद, जोनल प्रमोशन चेयरपर्सन, इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट क्लब और आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य संदर्भित विषय पर मुख्य भाषण देंगी। कार्यशाला का आयोजन सुश्री भानु सिंह, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II) की अध्यक्षता में किया जाएगा।

इस कार्यालय की सभी महिला अधिकारियों/कर्मचारियों (अनुलग्नक के अनुसार) के साथ-साथ लिपिक /एम०टी०एस/सफाईवाला के पदों पर आउटसोर्स की गई महिला कार्मिकों को कार्यशाला-सह-जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने की सलाह दी जाती है।

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 04.11.2024)

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक: 04.11.2024

क्रमांक संख्या प्रशासन/ले०प०/ रिटर्न/ यौन उत्पीड़न/2014-24/2651-61

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. सुश्री भानु सिंह, उप. महालेखाकार (ले०प०प्र०स०-II) (अध्यक्ष)।
3. सुश्री गीतिका सूद, 71, मिडिल बाजार शिमला- 171 001 (सदस्य)।
4. श्री मनोहर लाल ग्रेवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सदस्य)।
5. सुश्री पूनम ठाकुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सदस्य)।
6. श्री राम दास भवानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सदस्य)।
7. कल्याण अधिकारी ।
8. सुश्री मनुस्मृति, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ।
9. सुश्री समता खानचंदानी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ।
10. मुख्यालय के सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
11. कार्यालय के सभी महिला कर्मचारी/अधिकारी ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

04/11